बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग

पत्रांक–मु0अभि0(अनु0)समीक्षा कार्य (द0बि0)–54 / 2024 6645(S) पटना, दिनांक– 31/12/2024

प्रेषक,

मिहिर कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि0, पटना।
मुख्य महाप्रबंधक, बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लि0, पटना।
सभी मुख्य अभियंता (रा0उ0प0 सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी अधीक्षण अभियंता (रा0उ0प0 सहित), पथ निर्माण विभाग।
सभी कार्यपालक अभियंता (रा0उ0प0 सहित), पथ निर्माण विभाग।

विषय :–पथ निर्माण विभाग की परियोजनाओं के ससमय एवं गुणवत्तापूर्ण कार्यान्वयन हेतु लिये गए निर्णय ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में विगत समीक्षात्मक बैठकों में निर्गत निम्न निर्देशों की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है :–

1. परियोजनाओं को Rescind के मामलें में संवेदक से Risk & Cost के आधार पर वसूली के प्रावधान कड़ाई से लागू किये जाने चाहिए। पूर्व के सभी निविदाओं जो Risk & Cost पर की गई है, उन मामलों में recovery की क्या–क्या कार्रवाई कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल / वरीय परियोजना अभियंता BRPNNL / मुख्य महाप्रबंधक, BSRDCL द्वारा की गई है, मुख्यालय स्तर पर संकलित करने हेतु एक सप्ताह में प्रतिवेदन देगे। **(अनु०–मुख्य अभियंता, अनुश्रवण)**
2. प्रत्येक क्रियान्वित परियोजना का संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा साप्ताहिक, अधीक्षण अभियंता द्वारा पाक्षिक एवं मुख्य अभियंता द्वारा मासिक निरीक्षण की जाएगी। अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा स्थल भ्रमण से संबंधित निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव को समर्पित की जाएगी एंव इसकी सूचना अपर मुख्य सचिव को दी जाएगी साथ ही फोटोग्राफ WhatsApp Group एवं विभागीय Portal पर upload किया जाय।
3. परियोजना के क्रियान्वयन में हो रही कठिनाई (यथा भूमि संबंधी अतिक्रमण, विद्युत एवं वन इत्यादि संबंधी) के लिए जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागीय पदाधिकारियों से नियमित रूप से सम्पर्क स्थापित कर कार्यपालक अभियंता द्वारा समस्या का निदान किया जाएगा। 15 दिनों पर अधीक्षण अभियंता द्वारा समीक्षा की जाएगी एवं अपने स्तर से समस्या निदान का प्रयास किया जाएगा। आवश्यकतानुसार मुख्यालय को सूचित किया जाएगा।
4. अभियंताओं द्वारा स्थल भ्रमण निरीक्षण प्रतिवेदन को OPRMC App में online upload किया जाएगा।
5. PMIS पर प्रत्येक परियोजना का chainagewise एवं मदवार weekly work programme upload किया जाय तथा PMIS हमेशा update रखा जाएगा। PMIS update रखना संबंधित कार्यपालक अभियंता की व्यक्तिगत जिम्मेवारी होगी।
6. सभी क्रियान्वित परियोजनाओं का कार्य गुणवत्तापूर्वक एवं ससमय पूर्ण कराई जायेंगी। विलंबित योजनाओं के लिए EOT प्रदान करने हेतु उचित माध्यम से मंतव्य सहित प्रस्ताव मुख्यालय को

भेजा जाएगा। विशेष परिस्थिति में मुख्यालय स्तर से पूर्ण समीक्षोपरान्त सिर्फ अनुमान्य अवधि के लिए EOT स्वीकृत की जाएगी।

7. संवेदक द्वारा सम्पादित कार्य का ससमय भुगतान किया जाय ताकि संवेदक के पूँजी का स्थगन न हो एवं Cash flow बरकरार रहे। अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा नियमित निरीक्षण के क्रम में भुगतान के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी एवं निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित किया जाएगा।
8. प्रत्येक परियोजना के समर्पित work plan की मासिक रूप से नियमित समीक्षा की जाएगी एवं बाधामुक्त पथांश में कार्य में विलंब के लिए समानुपातिक रूप से LD अधिरोपित किया जाएगा एवं मासिक प्रतिवेदन में अद्यतन LD कटौती अंकित की जाएगी। नियमानुसार LD की कटौती नहीं होने की स्थिति में संबंधित पदाधिकारी पर अनुशासनिक कार्रवाई हेतु मुख्य अभियंता द्वारा अनुशंसा की जाएगी।
9. RWD/WRD/UDHD से अंर्तविभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करने की जिम्मेवारी संबंधित मुख्य अभियंता की होगी।
10. सभी परियोजनाएँ जिनका प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त है उन सभी परियोजनाओं को प्रगति प्रतिवेदन में शामिल कर अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित की जाएगी। जिन परियोजनाओ में भूमि–अधिग्रहण शामिल हो उनका Civil Cost एवं LA Cost का प्रगति प्रतिवेदन में अलग–अलग Row में प्रतिवेदित किया जाएगा।

कृप्या उपरोक्त निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–मु0अभि0(अनु0)समीक्षा कार्य (द0बि0)–54/2024 6645(S) पटना, दिनांक– 31/12/2024
प्रतिलिपिः–अभियंता–प्रमुख (कार्य प्रबंधन), प0नि0वि0,पटना/अभियंता–प्रमुख (मुख्यालय), प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–मु0 अभि0(अनु0)समीक्षा कार्य (द0बि0)–54/2024 6645(S) पटना, दिनांक– 31/12/24
प्रतिलिपिः–सचिव (स0पु0), प0नि0वि0,पटना/सचिव(का0ध0), प0नि0वि0, पटना/अपर सचिव, प0नि0वि0, पटना/विशेष सचिव, प0नि0वि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।

ज्ञापांक–मु0 अभि0(अनु0)समीक्षा कार्य (द0बि0)–54/2024 6645(S) पटना, दिनांक– 31/12/24
प्रतिलिपि :–मा0 उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री प0नि0वि0,पटना के आप्त सचिव/ मा0 उप मुख्य (पथ निर्माण) मंत्री प0नि0वि0,पटना के विशेष कार्य पदाधिकारी को सूचनार्थ प्रेषित।

(मिहिर कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव,
पथ निर्माण विभाग, बिहार।